सा०का०नि० 335 (अ):--राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है:--

सं० आ० 111

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:--

1. इस आदेश का नाम संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 है ।

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या समूहों को, संविधान के प्रयोजनों के लिए, सिक्किम राज्य के संबन्ध में, जहां तक उस राज्य में निवासी उसके सदस्यों का संबन्ध है, अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा ।

अनुसूची

1. भूटिया (चुम्बिपा, दोपथापा, डुकपा, कगाटे, शेर्पा, टिबेटन, ट्रोमोपा, योलमो सहित) ।

2. लेपचा ।

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[सं० फा० 19(1)/78 एफ-1]
एस० हरिहर अय्यर, सचिव

**G.S.R. 335(E).**—The following Order made by th President is published for general information :—

C.O. 111

THE CONSTITUTION (SIKKIM) SCHEDULED TRIBES ORDER, 1978

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Sikkim, is pleased to make the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

2. The tribes or tribal communities or parts of or gro within tribes or tribal communities specified in the Schedule to this Order shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Sikkim so far as regards members thereof resident in that State.

SCHEDULE

1. Bhutia (including Chumbipa, Dopthapa, Dukpa, Kagatey, Sherpa, Tibetan, Tromopa, Yolmo)

2. Lepcha.

N. SANJIVA REDDY, President

[No. F. 19(1)/78 F-1]
S. HARI HARA IYER, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978